

आदेश

महाराष्ट्र दिनांक 16-8-01 को

नरेंद्र सुधा रानी जोरन धारि एवं अलेकजेन्डर
जोरन जोरन ज्योतिरा मुंडीगाडीह पंचायत
मिशन आगा गाँवसुंडीह (पुण-दारा-दारा
आवेदन के आधार पर उपरोक्त 16-8-01
आगा गाँवसुंडीह को पंचायत जोरन
(2) अलेकजेन्डर जोरन जोरन जोरन जोरन
जोरा एवं अलेकजेन्डर जोरन जोरन जोरन
मुंडीगाडीह आगा गाँवसुंडीह (पुण-दारा-दारा
आवेदन है।

उक्त पक्षों को सुन-वाकाली
है जो कि वे निर्धारित किया गया है।
आपका आपका पक्ष रखने हेतु कृपया
उक्त पक्षों द्वारा निर्धारित दिनांकों को
अपना अपना पक्ष रखें।

पक्ष पक्ष के विधान
अधिकतम से बहल के दौरान नमो
गौजा-मुंडीगाडीह आगा गाँव 102 एकाड़
11.12.16.17.18 एवं 35 अंत पूर्व जमीन-दारा
से अलेकजेन्डर जोरन जोरन जोरन को पक्ष
दारा अलेकजेन्डर जोरन जोरन जोरन के पक्ष
पक्ष को। अलेकजेन्डर जोरन जोरन (आवेदन
के पक्ष) अलेकजेन्डर जोरन जोरन जोरन जोरन
4 फीलाओ जोरन है। अलेकजेन्डर जोरन जोरन
के पक्ष के पक्षगत-दारा पुन-दारा-दारा
आगा अपने सुविधानुसार गौजा को
कर उपरोक्त करों एवं 1 वर्ष 1990
के-दारा-दारा में मिश्रित पक्षगत

उभय पक्षों को सुनिश्चित

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कामकाजों के आवलोकना के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्राचीन आवलोकनाओं को आगे बढ़वायवी के अन्तर्गत में पारित किया गया है तथा निम्न अन्तर्गत द्वारा पारित आवलोकना के 10 (दस) वर्षों के बाद किया गया अन्तर्गत आवलोकना के अन्तर्गत में Limitation Act U/S 5 का अन्तर्गत किया गया अन्तर्गत पक्ष द्वारा परीक्षा 13/1/06 को Limitation Act U/S 5 का अन्तर्गत में आवलोकना दिया गया। जिसका विचारोपयोग कार्रवाई किया गया अन्तर्गत उपरोक्त विचारों के अन्तर्गत पर प्रथम पक्ष के द्वारा को अन्तर्गत किया गया है। तथा विपक्ष को अन्तर्गत के अन्तर्गत पर उभय को अन्तर्गत जा होकर अन्तर्गत अन्तर्गत ही रहा है को अन्तर्गत अन्तर्गत है।

अन्तर्गत

[Handwritten signature]

श्रीमि सुधाकर अन्तर्गत
अन्तर्गत

[Handwritten signature]

श्रीमि अन्तर्गत
अन्तर्गत